राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(77)नविवि / 3 / 2009 पार्ट-IV

जयपुर, दिनांकः 27 🕮 2022

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—2010 (above 10 hec. and upto 10 hec.) के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं में City Gas Distribution Station/Pressure regulating station/ District regulating station स्थापित करने हेत् नवीन प्रावधान निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

"7.02(K) for above 10 hectar/5.11 for upto 10 hectare-

The Land allotment to City Gas Distribution entity for establishing City Gas Distribution/Pressure regulating station/District regulating station shall be considered on priority on the land parcel reserved for facilities in the scheme layout plan as per the Orders issued by the State Government time to time in this regard. The City Gas Distribution entity shall be allowed to laid gas pipeling along the roads and connection to the individual plots shall be laid under the supervision and guidance of the City Gas Distribution entity"

राज्यपाल की आज्ञा से.

(मनीष`गोयल) संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- 2. निजीं सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपूर।
- 4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 5. निर्देशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेत्।
- 6. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपूर।
- सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- 9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
- 10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- 11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपूर।
- 12. रक्षित पत्रावली।

उप नगर नियोजक